न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि0)
बाराबंकी

<u>विशेष आपराधिक वाद संख्याः 14/2019</u>

श्रीमती सुशीला बनाम सुरेश आदि।

<u>29.6.2019</u>

पत्रावली पेश हुयी।

प्रार्थिनी की ओर विपक्षी सुरेश, अमरनाथ, पत्नी सुरेश एवं चांदनी के विरूद्ध कथन किया गया है कि कि वह अनुसूचित जाति की विकलांग है दिनांक 31.01.2018 को समय करीब 6 बजें शाम उसके दरवाजे पर लगें बबूल के पेड़ गांव के ही सुरेश व उनका साला अमरनाथ ने उसे काटने लगें, वह अपने दरवाजे पर बैठी थी उसने काटने से मना किया तो विपक्षीगण मां बहन की जाति सूचक भद्दी गालियां देने लगें गाली देने से मना किया तो विपक्षी 1 व 2 पेड़ से उतरकर उसे लात घूसों व डण्डो से मारने लगे। जब वह जान बचाने के लिए घर में घुसी तो विपक्षी सं01 व 2 उसके घर में घुस कर मारने पीटने लगें व अश्लील हरकतें करतने लगे। हल्ला पर विपक्षी संख्या 3 व 4 भी आ गयी और उसने भी घर में घुसकर उसे मारापीटा। इसी बीच उसका शोर सुनकर उसका पति मजदूरी छोड़ कर आ गया उसके पिता तीस वर्ष से अपनी सरकारी कालोनी में गांव में रह रहे है और उसके परिवार के लोग भीख मांगने का कार्य नहीं करते है। एक माह पूर्व 30.7.18 को समय करीब दस बजें विपक्षीगण उसे अपने धान की निराई कराने के लिए अपने खेत ले गये जहां पर दस निराई करने वाले लोग और थे लेकिन जब वह पहुंची तोदेखा कि वहां पर सुनसान था निराई करने वाला कोई नहीं था तब उसे डर लगा और उसने निराई से मना कर दिया तब विपक्षी डब्लू ने उसे धान के खेत में गिरा दिया और छेड़छाड़ करने लगा। उसके शोर पर विपक्षीगण ने कहा कि यदि मंगतिन साली नाम लिया तो उसे जान से मार देगें तथा भद्दी –2 जातिसूचक गालियां दी। वह रोती अपने घर आयी और घर में सारी बात अपने पिता को बतायी तब उसके पिता उसके साथ थाना रामनगर गये और तहरीर दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

समर्थन में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अन्तर्गत स्वयं परिवादिनी परीक्षित हुयी है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अन्तर्गत बंशीलाल, श्रीमती छब्बावती को परीक्षित किया गया हैं।

प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

परिवाद के कथनों की सम्पुष्टि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अन्तर्गत स्वयं परिवादी के बयान तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अन्तर्गत बंशीलाल, श्रीमती छब्बावती के बयान से होती है। ऐसी दशा विपक्षीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 504, 506 तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (1)(आरएस) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध परिलक्षित है तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>–आदेश–</u>

विपक्षीगण सुरेश, अमरनाथ, पत्नी सुरेश एवं चांदनी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 504, 506 तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (1)(आरएस) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु जरिये समन आहूत किया जाये।

पत्रावली दिनांक .7.2019 को पेश हो।

दि0–29.6.2019

(अनुपमा गोपाल निगम)
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0अधि0/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।